



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14112025-267654
CG-MH-E-14112025-267654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4963]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4963]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

रेलवे मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 7 नवम्बर, 2025

रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 5118(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एंव रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “मध्य रेल – इगतपुरी-पचोरा खंड (235 आर के एम/588 टी के एम) के लिए 1x25 केवी से 2x25 केवी ट्रैकशन सिस्टम तक इलेक्ट्रिक ट्रैकशन सिस्टम का उन्नयन कार्य” “विशेष रेलवे परियोजना” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	तालुका	स्थान/प्रकार	गाव का नाम	सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (CALA)
1	नांदगाव	मनमाड TSS	नागापूर	उप विभागीय अधिकारी, येवला
2	नाशिक	नाशिकरोड SP	पंचक	उप विभागीय अधिकारी, नाशिक
3		देवलाली SSP	संसारी	
4		लहवित TSS	वंजारवाडी	

[फा. सं. G197/Igatpuri-Pachora Section/Nagapur + 3 Vlgs/7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th November, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 5118(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “Central Railway-Upgradation work of Electric Traction System from 1 x 25 KV to 2 x 25 KV Traction system for Igatpuri-Pachora Section (235 RKM/588TKM) to meet 3000 MT loading target” in Nashik District of Maharashtra State mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. N.	Taluka	Place/Type	Village	Competent Authority for Land Acquisition
1	Nandgaon	Manmad TSS	Nagapur	Sub-Divisional Officer, Yeola
2	Nashik	Nashik Road SP	Panchak	Sub-Divisional Officer, Nashik
3		Devlali SSP	Sansari	
4		Lahavit TSS	Vanjarwadi	

[F.No G197/Igatpuri-Pachora Section/Nagapur + 3 Vlgs/7A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Con.)